प्रकरण क्रमांक 12544/ग्वालियर/2008/अनु.
पूर्व पृष्ठ से:–

30.01.2013

1. अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, ग्वालियर से बंदी माखन सिंह की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई । इस सूचना के अनुसार बंदी बीमार था और जेल चिकित्सक की सलाह पर हर्निया के ऑपरेशन हेतु जयारोग्य चिकित्सालय ग्वालियर भेजा गया था । कैदी वार्ड में पुलिस की अभिरक्षा में इस बंदी ने स्वयं को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । इस संबंध में न्यायिक जॉच के लिए भी निवेदन किया गया ।

9. इन समस्त परिस्थितियों को दृष्टितगत रखते हुए जितने भी पुलिसकर्मीगण व तत्कालीन जेल अधीक्षक जिन्हें धारा–16 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नोटिस दिये गये, उन सभी के विरूद्ध यह कार्यवाही नस्तीबद्ध करते हुए निम्नलिखित अनुशंसा की जाती है:–

राज्यभर के अस्पतालों में जहॉ–जहॉ कैदी वार्ड हैं वहॉ–वहॉ के लेट्रिन के दरवाजे हटाये जावें और दीवाल छत तक बनाने की अपेक्षा मात्र इतनी ऊंची बनायी जावे ताकि किसी भी कैदी के खड़े होने पर कमर के ऊपर का हिस्सा दिखाई दे । इस प्रकार की व्यवस्था बनाये जाने पर किसी भी कैदी को अस्पताल के जेल वार्ड में आत्महत्या करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा और उसके जीवन को बचाया जा सकेगा । जब तक उपरोक्त कार्यवाही न की जावे, तब तक अस्पताल के जेल वार्ड में ड्यूटी पर लगाये गये जेलकर्मियों व पुलिसकर्मियों को निर्देश जारी किये जावें कि किसी भी बंदी के लेट्रिन जाने

निरंतर.....

प्रकरण क्रमांक 12544/ग्वालियर/2008/अनु.
पूर्व पृष्ठ से:–

पर दरवाजा बंद करने की अनुमति न दी जावे और इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि कोई बंदी वहॉ फांसी लगाने का प्रयत्न न कर सके ।

10. उपरोक्त अनुशंसा का पालन दो माह में कर आयोग को पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया जावे ।

(जस्टिस ए.के. सक्सेना)	(वीरेन्द्र मोहन कंवर)
कार्यवाहक अध्यक्ष	सदस्य
30.01.2013	30.01.2013

उप सचिव
प्रकरण क्रमांक 557/5/भोपाल/2011–12/अनुशंसा
पूर्व पृष्ठ से:–

01.02.2013

1. इस प्रकरण को एवं साथ ही साथ प्रकरण क्रमांक 535/5/11–12, 895/5/11–12, 851/5/11–12 एवं 562/5/11–12 को मध्यप्रदेश राज्य की सड़कों की दुर्दशा के कारण हो रही दुर्घटनाओं को आधारित करते हुए संज्ञान में लिया गया था । अतः इन सभी प्रकरणों का निराकरण एक साथ इसी प्रकरण में किया जा रहा है और उन सभी प्रकरणों के संबंध में एक साथ अनुशंसा की जा रही है ।

25. आयोग के समक्ष जो पेपर कटिंग्स फोटो सहित उपलब्ध हैं उनको देखने भर से स्पष्ट हो जावेगा कि सड़क निर्माण एवं रख–रखाव में कितनी अधिक लापरवाही की जा रही है । विभिन्न स्तरों पर सड़क निर्माण व रख–रखाव के संबंध में आशय पूर्वक या बिना आशय के विभिन्न प्रकार की जो लापरवाही हो रही हैं उनकी रोकथाम करना राज्य शासन का कर्तव्य है । शासन का उत्तरदायित्व है कि पब्लिक को गुणवत्तापूर्ण सड़क आवागमन हेतु पूरे प्रदेश में उपलब्ध करावें और इस हेतु जो भी कार्यवाही हो सकती है, उसे करे । अतः समस्त तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती हैं:–

(1) गुणवत्ताहीन तथा अधूरी बनायी गई सड़को, सड़कों को बनाते व रख–रखाव करते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही होने, सड़कों में गड्ढे होने आदि के कारण कोई दुघर्टना होती है तो शासन दुर्घटना में हुई व्यक्तिगत या संपति की हानि के आधार पर संबंधित व्यक्ति को उचित क्षतिपूर्ति राशि दे और जिस विभाग, शासकीय निगम आदि के अधिकारी या कर्मचारी अथवा सड़क बनाने या रखरखाव हेतु उत्तरदायी एजेंसी द्वारा उपरोक्त किसी भी प्रकार की

त्रुटि की जाती है तो शासन द्वारा दी गई क्षतिराशि की वसूली उस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी अथवा एजेंसी से की जावे ।

(2) सड़क निर्माण हेतु नियुक्त एंजेंसी आदि द्वारा दोषपूर्ण रख–रखाव या सड़क निर्माण करने या किसी भी प्रकार की लापरवाही के होने पर प्रत्येक मामले में उसके विरूद्ध तत्काल कठोर कार्यवाही की जावे एवं शासन को उक्त कारणों से जो हानि हुई, उसकी वसूली भी की जावे।

(3) सड़क का निर्माण, वाहनों आदि के भार को दृष्टिगत रखते हुए उसकी गुणवत्ता तय करने के पश्चात् ही किया जावे ।

(4) गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण व रख–रखाव के लिए ऐसी कम्पनियों व ठेकेदारों को कार्य दिया जावे जिनकी कार्यप्रणाली विश्वसनीय हो व समय पर कार्य पूर्ण करने में सक्षम हों और किसी भी कम्पनी अथवा ठेकेदार के एक बार ब्लेक लिस्ट हो जाने के बाद सड़क निर्माण या रखरखाव का कार्य उसे दुबारा

कभी भी नहीं दिया जावे । यहॉ तक कि उस कम्पनी या ठेकेदार या उससे संबंधित उसका कर्मचारी कोई दूसरी कम्पनी बनाकर या ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन करवाकर सड़क बनाने या रख–रखाव करने का ठेका लेना चाहता है तो भी उसके पक्ष में किसी भी स्थिति में ठेका नहीं दिया जावे ।

(5) सड़क के निर्माण एवं रख–रखाव हेतु क्वालिटी कंट्रोल पर विशेष ध्याान दिया जावे और किसी सड़क का निर्माण या रख–रखाव गुणवत्तापूर्ण नहीं होने पर, उसके एक निश्चित समय के पूर्व ही उखड़ जाने अथवा गड्ढे हो जाने पर क्वालिटी का प्रमाणपत्र देने वाले अधिकारी के विरूद्ध तत्काल एफ.आई.आर. की जावे और जिसके अभियोजन के लिए शासन की किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता न हो । ऐसे अधिकारी को न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने पर उसे नौकरी से निकाला जावे और उसकी जो राशि नियमों के अंतर्गत राजसात की जा सकती है, उसे राजसात करने के अलावा सड़क निर्माण में हुये सम्पूर्ण व्यय को वसूल किया जावे ।

(6) सड़कों के निर्माण व रख–रखाव हेतु दी गई राशि का कोई दुरूपयोग न हो । इस पर नियंत्रण रखने हेतु एक आयोग बनाया जावे जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं एक्सपर्ट व्यक्ति रहें जो गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण न होने या रख–रखाव न होने की दशा में स्वयं संज्ञान लेकर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों तथा एजेंसियों के विरूद्ध न्यायालय में कार्यवाही कर सके और इसके लिए किसी प्रकार की कोई अनुमति की आवश्यकता शासन स्तर पर न हो । इस संबंध में संशोधन किया जावे ।

(7) किसी भी सड़क के निर्माण या रख–रखाव की कार्यवाही समयावधि में हो और विलंब के लिए उत्तरदायी सभी बाधाएं तत्काल दूर की जावें ताकि इसकी लागत राशि किसी भी स्थिति में न बढ़े । इसके लिए आवश्यक है कि सड़क निर्माण या रख–रखाव के दौरान गुणवत्ता की जॉच समय–समय पर तत्काल की जावे और गुणवत्तापूर्ण कार्य होना पाये जाने पर संबंधित एजेंसी को तत्काल

राशि की अदायगी की जावे और इसमें बाधा डालने वाले अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावे।

(8) सड़क निर्माण व रख–रखाव के लिए दी गई राशि का पूर्ण सद्पयोग किया जावे और इसके संबंध में किसी भी स्तर पर जो भी भ्रष्टाचार हुआ है अथवा हो रहा है, उसके संबंध में तत्काल कठोर कार्यवाही की जावे । भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह भी आवश्यक है कि गुणवत्ताहीन सड़कें बनवाने या रख–रखाव करवाने के उत्तरदायी किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के भ्रष्टाचार को न तो दबाया जावे और न अनदेखी की जावे ।

(9) सड़क निर्माण के पश्चात् यातायात कंट्रोल पुलिस को ही करना होता है । अतः कहॉ किस प्रकार सड़कें बनना है, कहॉ से रास्ता देना है, चौराहे कहां व कितने बड़े रखे जावें , कहॉ यातायात सिग्नल लगना है, आदि के संबंध में योजना बनाते समय पुलिस विभाग का सक्रिय सहयोग लिया जावे ।

(10) सड़कों पर गड्ढे होते ही उन्हें तत्काल भरा जावे तथा ऐसा न करने पर संबंधित उत्तरदायी अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जावे ।

(11) सड़को को बनाते समय ही यातायात व सुरक्षा संबंधी चिन्हों को लगाया जावे ताकि दुर्घटनाओं का टाला जा सके ।

(12) राजमार्गों पर स्थान–स्थान पर सी.सी.टी.व्ही. कैमरों को लगाने का प्रावधान होना चाहिये, जिससे त्रुटिकर्त्ता वाहन चालकों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हो सकेगी तथा दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा ।

(13) नियमों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त भार से अधिक भार ले जाने वाले वाहनों पर तत्काल कार्यवाही की जावे।

(14) अपकृत्य अधिनियम (Law of Torts) के अंर्तगत, सड़कों की दुर्दशा आदि के कारण व्यक्ति या संपति को किसी भी प्रकार की हानि होने पर क्षति राशि पाने के लिए प्रकरण न्यायालय में ले जाया जा सकता है , इसकी जानकारी आमजन को बड़े स्तर पर प्रचार के

माध्यम से शासन करावे, ताकि इस संबंध में लोगों में जागरूकता आये और इतने बड़े स्तर पर मामले न्यायालय में जायें कि शासन को एवं उसके अधिकारियों को यह समझ में आ जावे कि गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनाने एवं उनके रख–रखाव की

लागत राशि, क्षति राशि से कम होती है । हालांकि यह अनुशंसा शासन के लिए स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगी, परन्तु शासन के संवैधानिक दायित्व को दृष्टिगत रखते हुए इस अनुशंसा का पालन उसके द्वारा किया ही जाना चाहिये ।

(15) जिस प्रकार की सरल प्रक्रिया मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत क्षतिराशि प्राप्त करने के संबंध में है, उसी प्रकार की सरल प्रक्रिया अपकृत्य अधिनियम के अंतर्गत क्षति राशि प्राप्ति हेतु बनाये जाने की कार्यवाही की जावे, ताकि न्यायालय में शीघ्र न्याय लोगों को मिल सके और जो क्षति, सड़क की दुर्दशा आदि के कारण किसी व्यक्ति या उसकी संपति को हुई है, उसकी भरपाई एक सीमा तक हो सके ।

26. उपरोक्त अनुशंसा का पालन दो माह में कर आयोग को पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया जावे ।

(जस्टिस ए.के. सक्सेना)	(वीरेन्द्र मोहन कंवर)
कार्यवाहक अध्यक्ष	सदस्य
02.02.2013	02.02.2013

इस प्रकरण का संज्ञान दिनांक 23.8.2011 को हिन्दुस्तान टाईम्स में छपे समाचार दिनांक 22.8.11 के आधार पर लिया गया था, जिसमें दो बसों के कर्मचारियों के बीच सवारियां बिठाने के विवाद के कारण अशोका ट्रेवल्स बस के कर्मचारियों ने बालसमुंद बैरियर से दक्षिण की ओर लगभग 100 मीटर की दूरी पर साईंकृपा बस क्रमांक–एम पी 09 पी ए 2717 में आग लगा दी, जिसमें 10 यात्रियों की घटना स्थल पर ही जलकर मृत्यु हो गई एवं 12 अन्य यात्री बुरी तरह घायल हो गये थे, जिसमें से 4 की बाद में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस समाचार के आधार पर आयोग द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला परिवहन अधिकारी,बडवानी से रिपोर्टे बुलाई थी। तदोपरान्त आयोग को घटना की मजेस्ट्रियल जांच का प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ। आयोग द्वारा पूरे प्रकरण का अवलोकन करने पर, विषय की गम्भीरता के आधार पर प्रमुख सचिव, गृह विभाग तथा आयुक्त, परिवहन विभाग को आयोग में चर्चा हेतु बुलाया एवं सभी संबंधितों से चर्चा उपरान्त यह प्रकरण अंतिम अनुशंसा के लिये सुरक्षित किया गया।

2. यह घटना बालसमुंद बैरियर पर दिनांक 21.8.2011 को हुई थी । उस समय वहां 9 लेन थी और अब वहां 18 लेन चैक पोस्ट पर बन चुकी है ।

3. प्रकरण में कार्यपालिक दण्डाधिकारी जांच में लिये गये बस क्रमांक–एम पी 09–पीए–2717 के ड्रायवर सुनील सिंह आत्मज किशन सिंह व क्लीनर प्रवीण जायसवाल के कथन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वहीं इस आपराधिक कृत्य को करने वाले बस क्रमांक–आर जे 09– पी ए –1442 के ड्रायवर तरूण सोनी, कण्डेक्टर दिलीप शर्मा व खलासी राजकुमार के कथन भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके कथनों से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से कांट्रेक्ट परमिट पर चलने वाले यात्री वाहनों के द्वारा अवैध रूप से हर बडे कस्बे व शहर में यात्रियों को बिठाया जाता है व इनके हर प्रमुख शहर में बस स्टाप बने हुये हैं, जहां ये अपनी बसों को रोकते हैं व वहां से यात्रियों को बिठाते हैं, जबकि इन नेशनल परमिट की यात्री बसों को जहां से बस शुरू होती हैं, वहां से एक साथ पूरे ग्रुप को बिठाकर अंतिम गंतव्य स्थान पर उतारना होता है व रास्ते में कहीं भी किसी भी यात्री को उतारने व बिठाने का परमिट इनके पास नहीं होता ।

4. साईंकृपा बस क्रमांक–एम पी 09–एफ ए –2717 के क्लीनर प्रवीण जायसवाल आ0 सोहन लाल ने अपने कथन में यह स्पष्ट बताया है कि साईंकृपा यात्री बस सेंधवा बस स्टेण्ड से शाम 04.15 बजे इंदौर की ओर रवाना हुई थी व फिर सेंधवा बस स्टेण्ड के बाहर पुराने ए.बी. रोड पर राजकमल होटल के पास तिराहे पर सवारी बैठाने हेतु रूकी व इसी बीच अशोका ट्रेवल्स बस भी पुराने ए. बी. रोड से आकर साईंकृपा बस के आगे आकर खडी हो गई और उसमें से सेंधवा की एक सवारी को उतारा व तीन सवारियां उसमें बैठने लगी, तब साईंकृपा बस के कंडक्टर के कहने पर उस कंडेक्टर को कुछ बोलते हुये, अशोका बस रवाना हो गयी। नेशनल परमिट होने के बावजूद यह अशोका ट्रेवल्स बस पुराने ए. बी. रोड व फिर चाचरिया फाटे पर रूकी, जहां पर अशोका ट्रेवल्स अवैध रूप से यात्रियों को बिठाने जा रही थी, पर साईंकृपा यात्री बस के पहुंचने व हॉर्न देने पर अशोका ट्रेवल्स बस आगे चल दी व जो सवारियां चाचरिया फाटे पर अशोका ट्रेवल्स बस में बैठ रही थीं, उन चारों सवारियों को साईंकृपा यात्री बस में बैठा लिया व उसके बाद दोनों बसें न्यू ए बी रोड पर बने टोल प्लाजा पर आगे पीछे रूकीं व वहां पर साईंकृपा यात्री बस के कंडेक्टर पंकज ने अशोका ट्रेवल्स बस के ड्रायवर से अवैध रूप से सवारियां बिठाने के लिये मना किया । इसी बात पर से अशोका ट्रेवल्स व सांईकृपा यात्री बस के क्लीनर व कंडेक्टर में झगडा हुआ व मारपीट हुई, ***परन्तु यहां किसी प्रकार से झगडा समाप्त हुआ*** तो आगे बालसमुंद बैरियर पर, ट्रेफिक जाम होने के कारण साईकृपा बस को रूकना पडा और इसी के पीछे अशोका ट्रेवल्स की बस आ रही थी, जो बालसमुंद बैरियर पर साईंकृपा बस के आगे आकर खडी हो गई । उसके बाद अशोका ट्रेवल्स बस के कर्मचारियों ने साईंकृपा बस के कण्डेक्टर व क्लीनर से झगडा किया व पेट्रोल डालकर कण्डेक्टर व इस बस को जला दिया गया।

5. इस प्रकार से यह देखा जाये कि ये दोनों बसें सेंधवा ओल्ड ए. बी. रोड व चाचरिया फाटे पर सवारियां बिठाने के लिये रूकीं व उसके बाद न्यू ए. बी. रोड के टोल प्लाजा पर रूकीं, जहां दोनों बसों के क्लीनर व कण्डेक्टर में मारपीट हुई व उसके बाद बालसमुंद में आकर यह वीभत्स घटना लगभग 16.30 बजे घटित हुई । साईंकृपा बस के क्लीनर प्रवीण जायसवाल के अनुसार इस घटना के 5–6 दिन पहले भी अशोका ट्रेवल्स बस के कर्मचारियों द्वारा मॉ शारदा बस सर्विस के कर्मचारियों के साथ भी सवारियों को लेकर विवाद किया था।

6. अशोका ट्रेवल्स के ड्रायवर तरूण सोनी, कण्डेक्टर दिलीप शर्मा व खलासी राजकुमार के कथन से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से नेशनल परमिट के यात्री वाहनों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है जो इस दुखद घटना का मुख्य कारण है। ड्रायवर तरूण सोनी के अनुसार इस ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मालिक नरेश दोषी हैं व इस कम्पनी की सीकर से नासिक तीन यात्री बस चलती हैं । इसके अनुसार बस में मोटर सायकिल चढाई गई थी एवं साईंकृपा बस के क्लीनर ने टोल प्लाजा पर खलासी राजकुमार को चांटा मारा व राजकुमार ने भी साईंकृपा के क्लीनर को मारा था व फिर साईंकृपा बस के कण्डेक्टर व क्लीनर राजकुमार की लात घूसों से मारपीट करते रहे। यह झगडा 10–12 मिनिट चला। अशोक ट्रेवल्स बस के कण्डेक्टर दिलीप शर्मा के अनुसार माह अगस्त में 01 तारीख से 21.08.2011 तक सीकर से नासिक बस क्रमांक–आर जे 09 –पी ए 1412 पर कण्डेक्टर के रूप में काम करते हुये 5 ट्रिप लेकर आया था व इस रूट पर इस अशोका ट्रेवल्स की 3 बसें चलती हैं, जिससे एक गाडी का नंबर हर तीसरे दिन आता है । कण्डेक्टर दिलीप शर्मा के अनुसार सेंधवा में पुराने हाईवे पर स्थित बालाजी मोबाइल दुकान से अशोका ट्रेवल्स के यात्रियों की बुकिंग की जाती है।

दिनांक 21.08.2011 को नासिक से 9 सवारी लेकर रवाना हुआ था, जिसमें से 6 इंदौर एवं 3 सीकर की सवारी थीं । उसके बाद मालेगांव एवं धुलिया से भी सवारियां बिठाई गई थीं व कुल 18 सवारियां हो गई थीं। एक मोटर सायकिल मालेगांव से सीकर के लिये रखी गई थी । टोल प्लाजा पर क्लीनर राजकुमार को अचानक 2 व्यक्यिों ने मारपीट शुरू कर दी । टोल बैरियर से आगे निकलने पर बालसमुंद आर टी ओ बैरियर पर जाम लगा होने के कारण अशोका ट्रेवल्स बस को साईकृपा बस के कण्डेक्टर की साईड में खडा कर दिया । साईंकृपा बस को देखकर अशोका ट्रेवल्स के क्लीनर राजकुमार ने बस से टामी तथा पेट्रोल का केन जो कि मोटर सायकिल का था, लेकर साईकृपा बस पर खडे हुये कण्डेक्टर पंकज पर डाल दिया व आग लगा दी। ऐसे ही कथन अशोका बस के क्लीनर राजकुमार ने दिये हैं।

7. उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि इस अशोका ट्रेवल्स बस के मालिक की तीन बसें नियमित रूप से सीकर से नासिक जाती हैं और नासिक से वापस आती हैं । इस प्रकार से प्रतिदिन सीकर से नासिक व नासिक से सीकर इस ट्रांसपोर्ट कम्पनी की बस चलती हैं। यह कान्ट्रेक्ट पर चलने वाली सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि प्रतिदिन बसें चलती हैं और इस बात की जानकारी म0प्र0 में स्थित इस रूट पर आने वाले सभी परिवहन बैरियर पर अवश्य होगी। इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिये व त्रुटिकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही होनी चाहिये, क्योंकि यह अवैध परिचालन ही साईंकृपा बस में आग लगाने का मुख्य कारण था, जिसमें घटना स्थल पर ही 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी व 12 अन्य यात्री बुरी तरह घायल हो गये थे। यह एक अत्यंत खेदजनक स्थिति है कि खुलेआम चल रहे अवैध परिचालन की ओर से ध्यान न देने से 14 यात्रियों की मृत्यु हुई । इसलिये इस अवैध परिचालन के लिये जिम्मेदार आर टी ओ/ परिवहन नाकों पर पदस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाना थी। यह भी सभी की जानकारी में है कि इन कान्ट्रेक्ट परमिटधारी बसों के प्रत्येक कस्बे में बुकिंग केन्द्र बने हुये हैं और इसकी जानकारी सभी स्थानीय अधिकारियों को होगी ।

8. इस अवैध परिचालन को रोकने के लिये ऐसे बुकिंग केन्द्रों पर कडी कार्यवाही करनी चाहिये, जिससे कि अवैध परिचालन बंद हो सके। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि कान्ट्रेक्ट कैरिज के परमिट द्वारा लोकल बसों की तरह से बसें चलाई जा रही हैं और यह संबंधित अधिकारियों की जानकारी में होना चाहिये । इस प्रकार के अवैध बुकिंग केन्द्रों को न केवल बंद होना चाहिये, अपितु भविष्य में इन्हें बनने नहीं देना चाहिये।

9. घटना दिनांक 21.08.2011 को बालसमुंद बैरियर पर परिवहन विभाग के 27 कर्मचारी पदस्थ थे, परन्तु परिवहन निरीक्षक दीपक मिश्रा उस दिन कर्तव्य से अनुपस्थित थे । उनके अनुसार वे अनुमति लेकर गये थे । यह मुख्य कारण है कि बस के झगडे के उपरान्त 27 परिवहन कर्मचारी तत्काल घटना स्थल पर नहीं पहुंचे । जब निरीक्षक बिना अवकाश के अपने कार्य से गये हुये थे तो इसी प्रकार से अन्य कई कर्मचारी भी बैरियर से अनुपस्थित होंगे, जैसा कि मजिस्टेरियल रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि जब बस जल रही थी तब घटना स्थल पर तीन कर्मचारी ही थे। यदि ये 27 कर्मचारी वहां उपस्थित होते तो झगडे की शुरूआत होने के साथ ही ये सभी वहां पहुंच जाते व आग पर नियंत्रण पा लेते व अगर सभी कर्मचारी कार्य कर रहे होते तो हो सकता है कि वहां ट्रेफिक जाम नहीं होता और साईंकृपा बस को रूकना नहीं पडता और उसमें आग नहीं लगती। चूंकि बैरियर पर विलम्ब हो रहा था, इसलिये ट्रेफिक जाम हुआ । सभी अनुपस्थित कर्मचारियों को दण्डित किया जाना चाहिये व भविष्य में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृत करवायें अपनी पदस्थापना स्थल से अनुपस्थित न हो, इसे निश्चित किया जाना आवश्यक है।

10. घटित घटना का थाना क्षेत्र नागलवाडी तथा चौकी औझर है । चौकी औझर घटना स्थल से लगभग 10 किलोमीटर व नागलवाडी से 17 किलोमीटर है। दोनों ही स्थानों से पुलिस अत्यंत विलम्ब से पहुंची । पुलिस का घटना स्थल पर पहुंचने का समय सुधरना चाहिये।

11. सेंधवा नगर पालिका घटना स्थल से लगभग 18 किलोमीटर है । सेंधवा से फायर ब्रिगेड घटना स्थल पर लगभग 45 मिनट बाद पहुंची है। फायर ब्रिगेड 15–20 मिनिट में घटना स्थल पर पहुंच सकती थी, परन्तु वह भी अत्यंत विलम्ब से पहुंची। इस प्रकार का विलम्ब भी पूर्ण रूप से अनुचित है।

12. साईंकृपा बस जलने के लगभग 50 मिनिट के पश्चात् एकत्रित भीड द्वारा अशोका ट्रेवल्स को जलाया गया है। तब तक भी घटना स्थल पर उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा इन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया गया। प्रकरण में प्राप्त जानकारी के अनुसार इस आगजनी की घटना में कुल 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जिनमें से प्रत्येक को रूपये 2–2 लाख, गम्भीर रूप से घायल 3 व्यक्तियों को रूपये 25–25 हजार एवं सामान्य रूप से घायल 13 व्यक्तियों को रूपये 5–5 हजार रूपये का मुआबजा शासन द्वारा प्रदान किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में आहतों को प्रथक से अंतरिम राहत/मुआबजा दिलाने की आवश्यकता नहीं है।

13. प्रकरण में आये सभी तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुये आयोग के समक्ष निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट होती हैः–

(1) इस प्रकरण में घटना का मुख्य कारण नेशनल परमिट की बसों का अवैध परिचालन है। इन बसों को परमिट कान्ट्रेक्ट पर यात्रियों को ले जाने का होता है। अशोका ट्रेवल्स बस नियमित रूप से सीकर से नासिक चलती हैं। वह रास्ते पर आने वाले सभी शहरों और कस्बों में सवारियॉ भरती है जो कि परमिट के अनुसार अवैध है। इस घटना का मुख्य कारण अशोक बस का सेंधवा में पुराने हाईवे पर अवैध रूप से सवारियों को बिठाने पर से साईकृपा बस के कर्मचारियों से झगड़ा हुआ था। सेंधवा में पुराने हाईवे पर स्थित बालाजी मोबाईल की दुकान से अशोक ट्रेवल्स की सवारियों की बुकिंग की जाती

है जैसा कि कण्डेक्टर दिलीप शर्मा ने बताया, जबकि नेशनल परमिट में इसकी अनुमति नहीं होगी। उसके अनुसार माह अगस्त, 2011 में एक तारीख से लेकर 21 अगस्त, 2011 तक कुल 5 ट्रिप सीकर से नासिक बस क्रमांक आर.जे. 9 पी.ए. 1442 के द्वारा लगाये गये थे। इस रूट पर इस ट्रांसपोर्ट की 3 बसें चलती हैं व प्रत्येक गाड़ी का नम्बर तीसरे दिन आता है। इससे स्पष्ट है कि ये बसें इसी रूट पर नियमित रूप से चलती हैं और जिन वाहनों के लिए परिवहन विभाग ने परमिट जारी किया है, उनकी सवारियॉ अवैध रूप से यह बसें बिठाती हैं और यही मुख्य विवाद का कारण है। इसलिए इस अवैध परिचालन को रोकने के लिए कडे कदम उठाने की जरूरत है। जहां एक ओर ये टेक्स नहीं देते, वहीं अवैध रूप से सवारियों को बिठाते हैं और इसी कारण जिनको परमिट मिला है उनसे विवाद होता हैं। शुरू से ही ये बसें आल इंडिया परमिट के अनुसार कान्ट्रेक्ट पर एक ही पार्टी को नहीं ले जाती, बल्कि विभिन्न सवारियों को विभिन्न स्थानों पर उतारने के लिए बिठाती हैं। नासिक से इस बस में कुल 9 सवारियॉ बैठी थीं, जिनमें 6 इन्दौर व 3 सीकर की थीं। उसके बाद मालेगांव व धूलिया में 18 सवारियॉ हो गई। यह अत्यन्त आवश्यक है कि ट्रांसपोर्ट विभाग इस अवैध परिचालन को बिल्कुल बंद करें। जैसा सेंधवा में बालाजी मोबाइल इस अशोका ट्रेवल्स बस का केन्द्र है, जहां से सवारियां उतरती हैं व बैठती हैं । ऐसे बस स्टाप इन सभी नेशनल परमिट वाले यात्री वाहनों व ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के हर शहर में है, जिसकी जानकारी सभी संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों को होनी चाहिये। इन पर अवैध रूप से परिचालन करने वाले यात्री बसों की कम्पनियों पर कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है व ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिये व भविष्य में नेशनल परमिट के ये यात्री वाहन शहरों व बस्तियों के अंदर प्रवेश न करके बाईपास व हाइवे से ही जायें व जिन कस्बों में बायपास नहीं है, वहां रूक कर यात्री न बिठायें ।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 पर स्थित टोल प्लाजा में साईंकृपा बस व अशोका बस के कण्डक्टर व क्लीनरों में हाथपाई व मारपीट हुई थी, परन्तु इसकी कोई रिपोर्ट नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप बालसमुंद बैरियर पर इतनी गम्भीर घटना हुई । टोल प्लाजा के कर्मचारियों को निर्देशित किया जाना चाहिये कि भविष्य में ऐसी घटनायें हों तो उनकी रिपोर्ट थानों व आर.टी.ओ. बैरियर पर किया करें।

(3) नासिक से ही इस बस में मोटरसाईकिल रखी हुई थी और उसका पेट्रोल बस के अन्दर रखा हुआ था। उसी पेट्रोल का उपयोग सॉईकृपा बस को बालसमुंद बेरियर पर आग लगाने के उपयोग में लाया गया। जहां एक ओर बस का अवैध परिचालन करना पाया गया, वहीं प्रतिबंधित सामग्री को बस में रखकर ले जाया गया। इसके लिए भी कडे मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है जिससे भविष्य में कोई भी प्रतिबंधित सामग्री को यात्री वाहनों में नहीं ले जा पाये।

(4) बालसमुंद बेरियर में कुल 27 कर्मचारी व अधिकारी परिवहन विभाग के घटना के समय पदस्थ थे परन्तु निरीक्षक बिना अवकाश के कहीं बाहर गये हुए थे। शेष 26 कर्मचारियों में से सभी कर्मचारी बालसमुंद बेरियर में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि घटना के समय बहुत कम कर्मचारी बस के पास पहुंचे । मजिस्टेरियल जांच के बिन्दु 9 में यह पाया गया है कि जब साईंकृपा बस जल रही थी तब बैरियर पर पदस्थ 3 जवान के अतिरिक्त कोई भी कर्मचारी/अधिकारी घटना स्थल पर नहीं थे व जब अशोका बस को जलाया गया तो उस समय उस बस के पास तीन आरक्षक थे, जिनमें से दो के पास राईफल थी। ऐसी घटना पर नियंत्रण पाने के लिये 27 कर्मचारी पर्याप्त थे, परन्तु बहुत कम कर्मचारी उपस्थित थे और जो उपस्थित थे, वे सभी सी. डी. में पहचाने जा सकते हैं और जो अनुपस्थित थे, जिनमें परिवहन निरीक्षक भी शामिल हैं, उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिये। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिस कर्मचारी की जहां पदस्थापना है वह बिना अवकाश स्वीकृत करवाये अपने कर्तव्य स्थान से अनुपस्थित न होने पाये। अगर 27 कर्मचारी बालसमुंद बेरियर पर मौजूद रहते, तो इस बस की आग को बुझाने के लिए पर्याप्त थे। अतः समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये यह स्पष्ट होता है कि इस घटना के संबंध में विभिन्न स्तर पर विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों की त्रुटि व लापरवाही थी। साथ ही सम्पूर्ण व्यवस्था की भी दोष था।

14. अतः समस्त परिस्थितियों के आधार पर आयोग निम्नलिखित अनुशंसा करता हैः–

(1) मध्यप्रदेश राज्य में अखिल भारतीय परिमिट पर बस परिचालन के दौरान इन बसों में स्थान–स्थान पर सवारियों को बैठाने व उतारने की अवैधानिक कार्यवाही को तत्काल रोका जाये तथा इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किये जायें।

(2) वर्तमान समय में अथवा आदेश जारी होने के बाद यदि इस प्रकार की ऑल इण्डिया परमिट पर चलनी वाली बसों द्वारा अवैध परिचालन करना पाया जाता है तो उस बस को जप्त कर न्यायालयीन कार्यवाही की जाये और साथ ही साथ उनके परमिट को निरस्त करने की कड़ी कार्यवाही की जाये। ऐसी बसों की कम्पनियों पर भी कड़ी कार्यवाही की जाये।

(3) नेशनल परमिट पर चल रहे यात्री वाहनों को उनके आरम्भ होने अथवा रूट समाप्त होने के शहरों को छोड़, उनके सम्पूर्ण मार्ग में पड़ने वाले शहरों एवं कस्बों के अंदर उन्हें प्रवेश की अनुमति देते हुये बायपास व हाईवे से निकाला जावे तथा इस संबंध में कार्यवाही कठोरता से की जाये। जहां बायपास नहीं हैं, वहां यात्रियों को स्थान–स्थान पर बैठाने व उतारने की कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाई जाये। नेशनल परमिट की बसों में टिकिट बुकिंग हेतु स्थान–स्थान पर जो ट्रेवल्स ऐजेंसियां हैं, उनके विरूद्ध नियम का उल्लंघन करने पर कठोरता से कार्यवाही की जाये और जिस अनुमति के अन्तर्गत् वे अपनी ऐजेंसी चला रहे हैं, उसे समाप्त किया जाये।

(4) ऑल इण्डिया परमिट पर राज्य में चलने वाली सभी बसों की स्थान–स्थान पर आकस्मिक चैकिंग करवाई जाये और नियम विरूद्ध सवारियां बैठाये जाने पर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।

(5) राज्य के समस्त टोल प्लाजा के कर्मचारियों को निर्देशित किया जाये कि भविष्य में इस प्रकार की आपराधिक घटना होने पर, उसकी रिपोर्ट थाने व आर.टी.ओ. को तत्काल करें । ऐसी शर्त उनके अनुबंध में भी डाली जाये।

(6) ज्वलनशील एवं प्रतिबंधित पदार्थों को बस में रखकर ले जाना अनुचित तथा अवैधानिक है और इसके उचित पालन के लिये समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जाये ताकि ऐसे पदार्थ न केवल ऑल इण्डिया परमिट की बसों में, अपितु स्थानीय बसों या अन्य वाहनों में भी न मिलें ।

(7) घटना दिनांक को बालसमुंद बैरियर पर निरीक्षक तथा जो कर्मचारीगण बिना अनुमति के अनुपस्थित थे, उनके विरूद्ध तत्काल विभागीय कार्यवाही की जाये।

(8) राज्य के प्रत्येक आर.टी.ओ. बैरियर पर एक–एक एम्बूलेंस रखी जाये, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर, उसकी सहायता ली जा सके और घायलों की जान बचाई जा सके।

(9) पूर्व निर्णयानुसार प्रत्येक बस में 2 दरवाजे और एक आपातकालीन दरवाजा नहीं होने पर, उस बस को जप्त कर कार्यवाही की जाये तथा दरवाजों संबंधी प्रावधानों का पालन अति शीघ्र करवाया जाये।

(10) सभी ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के कर्मचारीगण, परिवहन बसों के ड्रायवर, कण्डेक्टर व क्लीनर का चरित्र सत्यापान कराया जाये तथा यह कार्यवाही 6 माह में पूर्ण की जाये। सत्यापन होने पर इनमें से कोई भी व्यक्ति आपराधिक पृष्ठभूमि का पाया जाता है तो उसके विरूद्ध उचित कार्यवाही की जावे ताकि वह किसी भी ट्रांसपोर्ट कम्पनी में पुनः काम न कर सके। ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मालिकों पर यह बंधन डालना चाहिये कि बिना चरित्र सत्यापन के किसी भी व्यक्ति को वे अपने यहां कर्मचारी के रूप में न रखें एवं रखे गये कर्मचारीगण की सूची संबंधित थाने में दें तथा इसका उल्लंघन होना पाये जाने पर ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मालिकों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

(11) बस स्टैण्ड पर झगड़ों की शुरूआत होती है तथा वहां पर कई असमाजिक तत्वों का नियंत्रण रहता है । इन स्थानों पर होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के लिये सभी ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिये, जो अवैध गतिविधियों का संचालन करते हैं ।

(12) यह स्पष्ट है कि इस घटना के होने पर पुलिस चौकी औझर एवं नागलवाड़ी के पुलिस कर्मचारी अत्यंत विलम्ब से पहुंचे । अतः इस संबंध में निर्देश जारी किये जायें कि राज्य में कहीं भी किसी भी प्रकार की घटना होने पर संबंधित पुलिस को तत्काल पहुंचकर कार्यवाही करना आवश्यक है और इसमें त्रुटि पाई जाने पर त्रुटिकर्ता पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

15. उपरोक्त अनुशंसाओं का अनुपालन एक (01) माह में किया जाकर आयोग को सूचित किया जाये।

(जस्टिस ए.के. सक्सेना)	(वीरेन्द्र मोहन कंवर)
कार्यवाहक अध्यक्ष	सदस्य
31/01/2013	31/01/2013

रजि.लॉ.

दैनिक जागरण समाचार–पत्र में छपी खबर दिनांक 05.10.2012 जिसका शीर्षक *''बेटियां बिकती हैं, बोलो खरीदोगे''* पर संज्ञान लेकर आयोग द्वारा संबंधित जिलों बैतूल, शिवपुरी, ग्वालियर, मण्डला, छतरपुर, सागर, मंदसौर, दमोह एवं पन्ना जिले के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षकों से जानकारी मंगाई गई। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार निगरानी परिषद के महासचिव की शिकायत पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीमती अरूणा मोहन राव से प्रतिवेदन मांगा गया।

2. कलेक्टर जिला ग्वालियर के द्वारा सूचित किया गया कि वर्ष 2012 में ग्वालियर जिले में मानव दुर्व्यापार निरोधी सैल का गठन सितम्बर, 2012 में ग्वालियर में किया गया व दिनांक 17.10.2012 तक उस सैल के द्वारा बेड़िया जाति के चंगुल से 4 बालिग व नाबालिग बच्चियों को मुक्त करवाया गया। इसमें से एक बच्ची, जिसकी उम्र 11 वर्ष है, उसे निःशुल्क शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था के लिये कस्तूरवा गांधी बाल निकेतन, हस्तिनापुर, जिला ग्वालियर में रखा गया। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि दार्जिलिंग की एक बच्ची भी इनके यहां से मुक्त करवाई गई, जिसका अपराध क्रमांक–175/12 धारा 363,365 भादवि कायम कर, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल की दो बच्चियों को भी मुक्त करवाया गया, जिसमें आरोपियों के विरूद्ध थाना बहोडापुर में अपराध क्रमांक–469/12 धारा 363,366ए, 365,372,373,376 भादवि एवं 3,4,5,6,7,8 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध कर, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना मुरार क्षेत्र से बंग्लादेश की दो नाबालिग बच्चियों को मुक्त कराया गया। पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर के द्वारा बताया गया कि जिला ग्वालियर में कुल 8 प्रकरण अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के दिनांक 4.3.2012 से 08.10.2012 के बीच पंजीबद्ध किये गये।

3. पुलिस अधीक्षक, छतरपुर के द्वारा रिपोर्ट दी गई कि उनके यहां दिनांक 5.10.2012 को अपराध क्रमांक–454/12 धारा 3,4,5 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया, जिसमें आरोपिया संतोषी तिवारी को गिरफ्तार किया गया। इसके मकान से 3 लड़कियां मिलीं, जिनकी उम्र व निवास स्थान क्रमशः (1)18 वर्ष निवासी जिला आरा, बिहार (2) उम्र 22 वर्ष, निवासी चरखारी हाल टौरिया मोहल्ला, छतरपुर (3) उम्र 22 वर्ष, निवासी बेनीगंज मोहल्ला,छतरपुर की हैं। आरोपिया संतोषी तिवारी अपने आवासगृह में इनसे वेश्यावृत्ति करवाती थी। इनसे पूछताछ करने पर यह मालूम पड़ा कि एक अन्य लड़की जिसकी उम्र 16 साल थी, जो एन.एम.डी.सी. मझगवां, जिला पन्ना की रहने वाली थी, वह लड़की पुलिस कार्यवाही के कुछ समय पूर्व ही संतोषी तिवारी के मकान से भाग जाने में सफल हो गई थी। इस बालिका को ढूंढा गया तथा उसके द्वारा यह बताया गया कि दो वर्ष पूर्व पूजा पुत्री नत्थू अहिरवार, निवासी गुलयाची मोहल्ला, पन्ना की छतरपुर मेला दिखाने के बहाने लेकर संतोषी तिवारी के घर लेकर आई थी तथा एक घण्टे रूकने के बाद उसे 5,000/–रूपये में बेंच दिया गया था। इसके पश्चात् संतोषी तिवारी द्वारा उसे शारीरिक एवं मानसिक यातनायें देकर, उसका शारीरिक शोषण करवाया गया। उसके विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी व उसको अन्य स्थानों पर भेजकर भी उसका शारीरिक शोषण करवाया जाता था।

4. पुलिस अधीक्षक, पन्ना द्वारा बताया गया कि पिछले 10 वर्षों में (वर्ष 2002 से वर्ष 2012 तक) कुल 895 महिलाओं एवं बालिकाओं के गुमने की रिपोर्ट थानों पर दर्ज हुई थी। उनमें से 596 महिलायें एवं बालिकायें मिल गईं एवं 299 दिनांक 17.10.2012 तक नहीं मिल पाईं। अर्थात् 66.59 प्रतिशत महिलायें मिल गईं व करीब 34 प्रतिशत महिलायें अभी तक नहीं मिल पाई हैं । यह एक बहुत बडी संख्या है और सम्भवतः इनमें से अधिकतर महिलाओ/बालिकाओं को देह व्यापार के लिये बेंच दिया गया होगा। इस जिले में कुल 4 प्रकरण महिलाओं के देह व्यापार, बंधुआ मजदूरी व वैश्यावृत्ति करने के पंजीबद्ध हुये हैं। सभी प्रकरण वर्ष 2005 के हैं । वर्ष 2005 के अलावा शेष वर्षों में 299 गुमशुदा बालिकाओं व महिलाओं के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इन चारों प्रकरणों में से एक प्रकरण की बालिका जिला पन्ना की रहने वाली है । दो बालिकायें जिला शहडोल की रहने वाली हैं व एक बालिका जिला सागर की रहने वाली है। इन चारों प्रकरणों में से दो प्रकरणों में आरोपी न्यायालय से बरी हो गये हैं तथा एक प्रकरण में धारा 374 भा.द.वि. के मामले में आरोपी को 6 माह के कारावास से दण्डित किया गया व शेष धाराओं में बरी हुआ। एक प्रकरण अभी 8 वर्ष बाद भी न्यायालय में लंबित है। इस प्रकार किसी भी प्रकरण में वैश्यावृत्ति करवाने के संबंध में सजा नहीं मिली है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह लिखा है कि वर्ष 2005 के पश्चात् देह व्यापार के लिये खरीद–फरोख्त संबंधी कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है।

5. पुलिस अधीक्षक, मंदसौर द्वारा सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के आदेश क्रमांक–2238/1887/10/20/3/2,दिनांक 02 नवंबर, 2010 द्वारा प्रदेश के 8 जिलों में Anti Human Trafficking Unit की स्थापना की गई थी, जिसमें मंदसौर जिला भी शामिल है। परम्परागत् रूप से मंदसौर, नीमच एवं रतलाम में बांछड़ा जाति के लोग निवास करते हैं और उनके परिवार की सबसे बड़ी लड़की के द्वारा वैश्यावृत्ति कराये जाने की परम्परा है, परन्तु वर्तमान में बांछड़ा समुदाय के द्वारा देश के अन्य क्षेत्रों से बालिकाओं की तस्करी कर एवं पाल पोसकर देह व्यापार करवाने का अपराध किया जा रहा है। Anti Human Trafficking Unit द्वारा मंदसौर जिले के 39 डेरों का सर्वे किया गया, जिससे यह मालूम हुआ कि इन बांछड़ा डेरों में कुल 1058 महिलायें निवासरत हैं व 869 बालिकायें हैं, जबकि पुरूष 973 और बालक 825 हैं। दो से बीस वर्ष की उम्र की बच्चियों के जन्म के संबंध में इस संबंध में जन्म/मृत्यु रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं थी। वर्ष 2011–12 में इस सर्वेक्षण के पश्चात् 12 प्रकरण मानव तस्करी के पंजीबद्ध हुये, जिनमें 94

आरोपियों को गिरफ्तार कर, उनके कब्जे से 57 बालिकाओं को बरामद कर, मुक्त करवाया गया। इनमें से एक बालिका के द्वारा यह बताया गया कि उसको इंदौर से चाकलेट का लालच देकर अपहरण किया गया। इन आरोपियों से पूछताछ करने पर अपराध करने के तरीके को मालूम किया गया, जिनके अनुसार इनमें से पहला गैंग बच्चा उठाने वाला गैंग होता है, जो भीड़भाड़ वाले स्थानों से बच्चों का अपहरण कर लेते हैं । इसके अलावा वे बच्चों को मेलों, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड व भीड़ भाड़ वाले बाजारों में चाकलेट व अन्य चीजों का लालच देकर, बेहोश करके अपहरण कर लेते हैं । इसके बाद इनकी दूसरी गैंग बच्चों को बेंचने का कार्य करती है। बांछड़ा डेरे में इन बच्चियों को 15 से 80 हजार रूपये में खरीदा जाता है । जो बच्चियां बरामद की गई, वे देश के विभिन्न स्थानों से अपहृत की गई थीं । आगरा, नीमच इत्यादि स्थानों से बच्चियों को अपहृत किया गया।

6. जिला दमोह एवं मण्डला के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षकों द्वारा निरंक जानकारी होने की सूचना आयोग को दी गई।

7. जिला शिवपुरी के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि दिनांक 7.9.2012 एवं 8.9.2012 को पुलिस थाना पुरानी छावनी, जिला ग्वालियर में अपराध क्रमांक–307/12 एवं 308/12 धारा 372,373,376,354,34 भादवि एवं 5,6,7 देह व्यापार अधिनियम के प्रकरणों में भूरिया उर्फ मनीष आदिवासी पुत्री सीताराम आदिवासी, निवासी सिघारई थाना इंदार एवं शारदा पुत्री आशाराम सेहरिया, निवासी रन्नौद की रिपोर्ट पर रोहित, चंद्रकला, सीताराम, गुड्डा जाटव, लज्जा बाई, चंद्रकला बेड़िया, रोहित पुत्र छविराम बेड़िया, निवासी बदनापुर के विरूद्ध प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया था। इस प्रकरण के अलावा अन्य कोई प्रकरण इनके जिले में देखने में नहीं आया । ये दोनों प्रकरण भी जिला ग्वालियर में पंजीबद्ध हुये थे, इनका अपहरण जिला शिवपुरी से हुआ था, परन्तु वहां कोई कार्यवाही नहीं हुई।

8. कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक, सागर द्वारा बताया गया कि वर्ष 2004 से वर्ष 2011 के बीच जिले में कुल 445 गुमशुदा बालिकाओं की बरामदगी उपरान्त उनसे बारीकी से पूछताछ की गई, किन्तु उनके कथनों से इस समाचार की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार उनके अनुसार जिला सागर में क्रय–विक्रय के अपराध नहीं है।

9. पुलिस अधीक्षक, बैतूल द्वारा बताया गया कि उनके यहां एक प्रकरण थाना सारणी में अपराध क्रमांक–366/12 धारा 366,368, 370,376 भादवि एवं अनैतिक स्त्री व्यापार अधिनियम की धारा 5,6 के अन्तर्गत् अपराध पंजीबद्ध करके, आरोपी को गिरफ्तार किया गया व थाना झल्लार में अपराध क्रमांक–212/11 धारा 363,366,372,344,376,34 भादवि 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट एवं 10,11 बाल विवाह अधिनियम का प्रकरण गुम इंसान क्रमांक–5/11 की जांच में पंजीबद्ध हुआ था। इन दोनों प्रकरणों में चालान न्यायालय में पेश हो गये हैं।

10. इन जिलों के अलावा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महिला अपराध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल श्रीमती अरूणा मोहन राव से भी जानकारी मांगी गई। उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार निगरानी परिषद के महासचिव आर. एच. बंसल के आवेदन–पत्र पर कार्यवाही विषयांतर्गत्, आयोग को संबोधित पत्र दिनांक 26.6.2012 में यह सूचित किया कि मानव दुर्व्यापार की रोकथाम हेतु मध्यप्रदेश में मानव दुर्व्यापार विरोधी 24 शाखायें गठित की गई हैं, जो मानव दुर्व्यापार के अपराधों की रोकथाम हेतु कार्यवाही कर रही हैं । वर्ष 2011 में कुल 24 अपराध इसके संबंध में मध्यप्रदेश में पंजीबद्ध हुये । इन मामलों में 189 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया व 114 नाबालिग बच्चों एवं 10 महिलाओं सहित कुल 124 महिलाओं एवं बच्चों को मानव दुर्व्यापार से बचाया गया। मंदसौर जिले में 58 बालिकाओं को देह व्यापार से मुक्त करवाया गया, जिनमें से 25 बालिकाओं को उनके माता–पिता को ढूँढकर, उन्हें सौंपा गया व शेष बालिकाओं को बाल संरक्षण गृह में रखा गया। उनके द्वारा वर्ष 2004 से वर्ष 2011 तक के 18 वर्ष की उम्र तक के गुमे हुये बच्चों के आंकड़े दिये हैं। वर्ष 2011 एवं वर्ष 2012 में कुल 16 प्रकरणों की जानकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा दी गई है, जिनमें मंदसौर, जबलपुर, भोपाल, गुना, नीमच, बड़वानी, बैतूल, हरदा, सागर, जी. आर. पी. भोपाल, बालाघाट, विदिशा एवं डिण्डौरी में वैश्यावृत्ति व बाल मजदूरी के लिये अपहृत बच्चों को बचाया गया व इनमें अपराध पंजीबद्ध किये गये।

11. उनसे यह जानकारी मांगी गई थी कि वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक मध्यप्रदेश में गुमशुदा बालक, बालिकाओं एवं पुरूष, महिलाओं की जानकारी भेजी जाये, जो कि उनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.1.2013 द्वारा आयोग को भेजी गई, जिसका अवलोकन करने से यह मालूम पड़ता है कि वर्ष 2007 से 2011 तक 18,931 बालक, व 25,427 बालिकायें, कुल 44,358 बालक/बालिकायें गुम हुईं, जिनमें से 38,705 यानि 87.32 प्रतिशत बालक/बालिकायें मिल गईं व 6,727 बालक/बालिकायें अभी तक नहीं मिले हैं, जो बहुत बड़ी संख्या है। इसी प्रकार से 27,837 पुरूष व 43,010 महिलायें अपहृत हुई, जिनका योग 70,847 बनता है। इनमें से 64 प्रतिशत पुरूष व महिलायें मिल गये, जिनका योग 45,409 है व शेष 25,429 पुरूष व महिलायें अभी तक नहीं मिले हैं ।

12. अगर कुल योग देखा जाये तो 1,14,845 बालक,बालिकायें, पुरूष व महिलायें वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक गुम हुये । इनमें से 68,437 बालिकायें व महिलायें हैं । इस प्रकार करीब 68 प्रतिशत बालिकायें व महिलायें गुम हुये व्यक्तियों में शामिल हैं और जो बालिकायें व महिलायें नहीं मिली हैं, उनको देह व्यापार में ही लगाने की सम्भावना अधिक रहती है। 6,727 बालक/बालिकायें व 25,429 पुरूष व महिलायें बरामद नहीं हो पाये हैं ।

13. बहुत सी अपहरण की घटनायें विभिन्न जिलों से सामने आई हैं। इसी प्रकार से देश के अन्य भागों से भी बच्चियों का अपहरण किया गया और उनको वैश्यावृत्ति के लिये बांछड़ों व बेड़िया जाति के व्यक्तियों के यहां बेंचना पाया गया।

अत्यधिक बड़ी संख्या में बच्चियों व महिलाओं का न मिलना एक अत्यंत दुखद स्थिति है, क्योंकि उनका अपहरण करके ऐसे घृणित कार्य में डाल दिया जाता है, जहां उनका जीवन नारकीय हो जाता है। यह एक अत्यंत घृणित अपराध है और बच्चियों व महिलाओं के साथ घोर अन्याय होने के साथ–साथ उनके मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसको रोकने के लिये मध्यप्रदेश शासन ने 8 जिलों में Anti Human Trafficking Unit बनाये हैं व प्रत्येक जिले में महिला सैल गठित किये गये हैं एवं एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी को इन प्रकरणों पर नजर रखने के लिये व 4 पुलिस महानिरीक्षकों को इस कार्य के लिये पदस्थ किया है।

14. उपरोक्त तथ्यों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं :–

(1) हर वर्ष बहुत बड़ी संख्या में बालक,बालिकाओं व महिलाओं के गुमने की रिपोर्ट होती हैं, जिनमें से काफी बड़ी संख्या में बालक,बालिकायें व महिलायें नहीं मिल पाते हैं। 6,727 बालक,बालिकायें व 25,429 पुरूष व महिलायें वर्ष 2007 से वर्ष 2011 के बीच गुम होने के पश्चात् अभी तक नहीं मिले हैं। इनमें से काफी बड़ी संख्या में बालिकाओं व महिलाओं को विभिन्न गैंगों द्वारा अपहृत करके देह व्यापार में लगाया गया होगा, इसकी पूर्ण सम्भावना है।

(2) विभिन्न जिलों में बालिकाओं व महिलाओं के अपहरण के लिये कई गैंग बने हुये हैं, जो इनका अपहरण करके मध्यप्रदेश व मध्यप्रदेश के बाहर वैश्यावृत्ति, बाल मजदूरी व भिक्षावृत्ति के लिये भेज देते हैं।

(3) बांछड़ा जाति के व्यक्ति छोटी उम्र की बालिकाओं का अपहरण करके उनसे वैश्यावृत्ति कराते हैं ।

(4) ग्वालियर में बांग्लादेश से अपहृत दो बच्चियों को भी मुक्त करवाया गया है, जिन्हें वैश्यावृत्ति के लिये रखा गया था। इसी प्रकार अन्य प्रान्तों की बालिकाओं से वैश्यावृत्ति भी कराई जाती है।

(5) छतरपुर में बिहार की बालिका का अपहरण करके उनसे वैश्यावृत्ति करवाई जाती थी।

(6) पन्ना जिले में 4 प्रकरण पंजीबद्ध हुये, इनमें से 2 प्रकरणों में आरोपी बरी हो गये हैं। एक प्रकरण में केवल धारा 374 भादवि के मामले में 6 माह की सजा मिली व एक प्रकरण वर्ष 2005 से अभी तक लंबित है। अर्थात् विभिन्न न्यायालयों में जो प्रकरण लंबित हैं, उनमें आरोपियों को सजा नहीं मिल रही । इन प्रकरणों के अभियोजन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा अथवा विवेचना में की गई लापरवाही के कारण आरोपी बरी हो जाते हैं।

(7) जो गैंग अपहरण करती है, वे बच्चों व महिलाओं को लालच देती हैं, फिर उनको अपहृत करके बेंच देती हैं । बांछड़ा डेरे जो मंदसौर, रतलाम व नीमच में है, उनमें बच्चों को खरीदा जाता है।

(8) जिला शिवपुरी में कोई प्रकरण नहीं पकड़ा गया, परन्तु वहां से अपहृत बालिका को बहोड़ापुर (ग्वालियर) से बरामद किया गया, जहां उससे वैश्यावृत्ति करवाई जाती थी, अर्थात् बच्चों व बच्चियों को अपहृत करके दूसरे जिलों में बेंच दिया जाता है या रखा जाता है और उनसे वैश्यावृत्ति करवाई जाती है, परन्तु संबंधित जिलों में गुमशुदा रिपोर्टों की सही जांच न होने से ये अपहृत बालिकायें वैश्यावृत्ति में लगा दी जाती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिलों की पुलिस में आपस में समन्वय का अभाव है व अपहृत बालिकाओं व महिलाओं के प्रकरणों में संवेदनशीलता नहीं बरती जा रही है।

(9) वर्ष 2011 में मध्यप्रदेश में कुल 24 अपराध मानव दुर्व्यापार के पंजीबद्ध हुये हैं व 124 महिलाओं एवं बच्चों को मानव दुर्व्यापार से बचाया गया, जबकि गुमशुदा बालिकायें व महिलायें हजारों में हैं।

(10) बहुत अधिक संख्या में बालक, बालिकायें व महिलायें अभी तक बरामद नहीं हो पाये हैं।

15. यह अत्यंत चिन्ता का विषय है कि हजारों की संख्या में बालक,बालिकायें व महिलायें अभी तक नहीं मिल पा रही हैं व प्रतिवर्ष इस प्रकार के हजारों प्रकरण हो रहे हैं, जिनकी विवेचना में उचित रूप से ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे मामलों की विवेचना अत्यंत संवेदनशीलता व त्वरित गति से किये जाने की आवश्यकता है ताकि इन पीड़ित बच्चों व महिलाओं का मानवाधिकार हनन तत्काल रोका जा सके । उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित अनुशंसायें की जाती हैं, जिससे गुमे हुये बालक,बालिकाओं व महिलाओं के मानव अधिकारों का हनन रोका जा सके ।

(1) कुछ जातियां ऐसी हैं, जो महिलाओं का देह व्यापार ही करती हैं, उन पर लगातार नजर रखने व जांच करने की आवश्यकता है, जिससे कि वहां अपहृत बच्चियों/महिलाओं को रखकर, उनसे वैश्यावृत्ति न करवाई जाये। इसके लिये प्रतिमाह राज्य स्तर पर मोनीटरिंग होनी चाहिये कि कुल कितनी बच्चियों, महिलाओं का अपहरण हुआ एवं उनमें से कितनी बच्चियां/महिलायें मिलीं व कितनी नहीं मिलीं और उनकी विवेचना के लिये क्या प्रयास किया गया, जिससे उन अपहृत बालिकाओं या महिलाओं को बचाया जा सके।

(2) गुमशुदा इंसान के प्रकरणों में थानों में गम्भीरता से विवेचना नहीं होती, इसलिये प्रत्येक पुलिस अधीक्षक को इनके पर्यवेक्षण के लिये जिम्मेदार बनाया जाना चाहिये और बच्चियों और महिलाओं के अपहरण, गुमशुदगी के प्रकरणों में विशेष टीमें बनाकर विवेचना की जाये।

(3) देश के अन्य भागों में भी म.प्र. से अपहृत बच्चियों, महिलाओं से अनैतिक देह व्यापार कराया जाता है। इन गैंगों की जानकारी मध्यप्रदेश में रखी जाये, क्योंकि देश के बड़े शहरों में इन बालिकाओं व महिलाओं को देह व्यापार करने वाले अड्डों पर बेंचा जाता है, जिसका रिकार्ड पुलिस मुख्यालय पर होना चाहिये।

(4) हर बड़े शहर में देह व्यापार में लिप्त गैंगों को लगातार पकड़ने व उनके यहां आने–जाने वाली नई बालिकाओं व महिलाओं पर नजर रखी जाये और यह पता लगाने का प्रयास किया जाये कि कहीं इनको देह व्यापार के लिये तो नहीं लाया गया है, जिससे उन पर रोक लगाई जा सके। ऐसे गैंग व अड्डों का रिकार्ड हर थाने व राज्य स्तर पर रखा जाये।

(5) गुम इंसान से संबंधित अपराध को अतिशीघ्र पंजीबद्ध करने की आवश्यकता है । इस हेतु पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा 426 के अनूरूप गुम इंसान के प्रकरणों में भी अपराध पंजीबद्ध करने संबंधी निर्देश जारी किये जाना चाहिये, क्योंकि हजारों की संख्या में बच्चे व महिलायें गुम होते हैं और उसमें कोई जांच गम्भीरता से नहीं होती। ये गुमशुदा प्रकरण गम्भीर अपराध जैसे कि निठारी काण्ड जैसे अपराध में परिवर्तित हो जाते हैं या विभिन्न शहरों के वैश्यालयों में इन गुमे हुये बालिकाओं और महिलाओं को ढकेल दिया जाता है, इसलिये एक निश्चित अवधि के बाद ऐसे प्रकरणों में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना करना अति आवश्यक है। इस संबंध में निर्देश जारी किये जायें।

(6) प्रत्येक जिले में और बड़े शहरों में ऐसे स्थान हैं, जहां बालक,बालिकाओं व महिलाओं से वैश्यावृत्ति करवाई जाती है या बाल मजदूरी करवाई जाती है, उन स्थानों को चिन्हित करके वहां लगातार अवैध गतिविधियों की जानकारी एकत्रित करनी चाहिये व अपहृत बालिकाओं व महिलाओं को इनके चंगुल से बचाना जाये।

(7) ऐसे प्रत्येक बालक,बालिका और महिला के विस्तृत कथन लिये जाने चाहिये, जिन्हें पुलिस ने वैश्यावृत्ति या बाल मजदूरी से मुक्त करवाया है, जिससे इस संगठित अपराध में लिप्त व्यक्तियों के संबंध में जानकारी एकत्रित हो सके व ऐसे अपराधियों का पूरा रिकार्ड रखा जाये व प्रत्येक घटना का विवरण व अपराधी का विवरण प्रत्येक जिला पुलिस अधीक्षक को भेजा जाये, जिससे ऐसे संगठित अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके। पुलिस मुख्यालय स्तर पर इन कथनों का विश्लेषण किया जाये।

(8) शासन को चाहिये कि इस प्रकार के मामलों में चालान प्रस्तुत होते हैं तो उनके शीघ्र निराकरण हेतु विशेष न्यायालय खोले जायें और ऐसे प्रकरणों में विशेष लोक अभियोजक रखने के साथ–साथ उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी **Prosecution** (अभियोजन) पर लगातार नजर रखें, जिससे अपराधी दण्ड से न बच पाये।

(9) ऐसे मामलों के अपराधियों की निगरानी खोलनी चाहिये और उनका पूरा रिकार्ड सभी जिलों में रखा जाना चाहिये, जिससे उन अपराधियों के आवागमन पर नजर रखी जा सके, जिससे वे फिर से ऐसे अपराध न करने पायें।

(10) विभिन्न प्रकरणों में यह देखने पर पाया गया कि अन्य प्रान्तों से अपहृत बालिकायें व महिलायें भी मध्यप्रदेश में वैश्यावृत्ति के लिये लाई गई हैं, इसलिये ऐसे स्थानों पर ध्यान दिया जाये, जहां विभिन्न प्रान्तों की बच्चियों व महिलाओं को छिपाकर रखा गया है और उनसे वैश्यावृत्ति करवाई जा रही है । संबंधित गैंग से यह जानकारी मिल सकती है कि मध्यप्रदेश से अपहृत बालिकाओं व महिलाओं को किन प्रान्तों में कहां–कहां बेंचा गया है और उनकी बरामदगी के लिये विशेष प्रयास किये जायें।

(11) वैश्यावृत्ति, मानवता के लिये कलंक है और अपहृत बालक, बालिकायें व महिलाओं को इस प्रकार जबरन इस घृणित कृत्य में लगने से बचाने के लिये पुलिस को विशेष प्रशिक्षण देकर संवेदनशील बनाना होगा। इसके लिये प्रत्येक जिले में लगातार प्रशिक्षण कोर्स चलाये जायें।

(12) प्रत्येक थाने में बीट कर्मचारियों व अधिकारियों को अपने–अपने क्षेत्र में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के संबंध में सूचनायें एकत्रित करने के लिये निर्देशित किया जाना चाहिये । राज्य में गठित महिला सैल के द्वारा सूचनायें एकत्रित करना चाहिये व सभी थानों को भी निर्देशित करना चाहिये कि वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, बाजार व भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बच्चों को अपहरण करने वाले व्यक्तियों पर नजर रखें और घटना स्थल पर ही पकड़ने के प्रयास करने के लिये निर्देशित किया जाये।

(13) यह स्पष्ट है कि बहुत अधिक संख्या में अभी भी गुम हुये बालक, बालिकायें व महिलायें नहीं मिल पाई हैं। उन सभी प्रकरणों में विशेष दल गठित करवा कर, उन्हें बरामद करने के लिये पुलिस द्वारा विशेष प्रयास किये जायें।

16. उपरोक्त अनुशंसाओं का अनुपालन एक (01) माह में किया जाकर आयोग को पालन प्रतिवेदन भेजा जाये।

(जस्टिस ए.के. सक्सेना)	(वीरेन्द्र मोहन कंवर)
कार्यवाहक अध्यक्ष	सदस्य
07 / 02 / 2013	07 / 02 / 2013